न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बुरहानपुर/भू.रा./2017/4624 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.10.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 573/अपील/15-16.

---

1. श्रीमती लीलाबाई पति पूना महाजन
2. अनिल पिता पूना महाजन
   दोनों निवासी- ग्राम दसनूर तहसील रावेर
   जिला जलगांव, महाराष्ट्र
3. श्रीमती शोभाबाई पति प्रभाकर चौधरी
   (पुत्री पूना महाजन)
   निवासी ग्रमा पंचम पिंपरी तालुका मुक्तई नगर
   जिला जलगांव, महाराष्ट्र .....आवेदकगण

विरूद्ध

राजेन्द्र पिता गरबड राउत
निवासी ग्राम फोफनार
जिला बुरहानपुर, म.प्र. .....अनावेदक

श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/8/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 17.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

(2)

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, बुरहानपुर के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के संयुक्त भूमिस्वामी स्वत्व की कृषि भूमि ग्राम दहीहाण्डी, तहसील बुरहानपुर में स्थित सर्वे क्रमांक 171 रकबा 2.92 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में अंकित होकर उक्त भूमि पर आने-जाने के रास्ते पर अनावेदक तथा श्रवण पिता तुकाराम कोली एवं कस्तुरबा बाई पति गरबड़ राउत ने प्रश्नाधीन मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी है, अगर अनावेदक ने उक्त रास्ते पर फसल की बुआई कर दी तो आवेदकगण अपने खेत में आना-जाना नहीं कर पायेंगे। अत: प्रश्नाधीन मार्ग खुला किया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 03/अ-13/13-14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रकरण प्रचलन के दौरान आवेदकगण द्वारा दिनांक 09.02.2016 को एक आवेदन पत्र मूल आवेदन में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया, जो स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 09.03.2016 को पारित कर प्रश्नाधीन मार्ग खुला करने का निर्देश दिया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 से स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 09.03.2016 निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17.10.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रकरण में जिसके विरूद्ध सहायता चाही गई है, उसके द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की है और न ही अनावेदक द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर के समक्ष प्रस्तुत की। उन्हें पक्षकार बनाया नहीं, ऐसे प्रकरण में पक्षकार के असंयोजन की बाधा होने से इस बिन्दु पर द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार न कर आलोच्य आदेश निरस्त कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने में गंभीर वैधानिक भूल की है। ऐसी स्थिति में दोनों आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं।

(2) मूल प्रकरण में आवेदकगण द्वारा श्रवण पिता तुकाराम कोली निवासी ग्राम दहीहाण्डी, बुरहानपुर एवं राजेन्द्र पिता गरबड राउत के विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाहे जाने बाबद

संशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में राजेन्द्र के विरूद्ध मूल न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया होने से उसे दिनांक 09.03.2016 को पारित आदेश को चुनौती देने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस बिन्दु पर प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक दृष्टिकोण से विचार न कर आवेदकगण की अपील निरस्त करने में तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक की अपील स्वीकार करने में गंभीर वैधानिक भूल की है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में संहिता की धारा 131 की उपधारा (1) के अंतर्गत को परिभाषित करते हुए जो आदेश पारित किया है, उक्त धारा को द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय विवेचन में लिए जाने का कोई औचित्य नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय यह उल्लेखित किया कि आवेदकगण द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसमें पक्षकारों को पुन: नोटिस नहीं दिये हैं। इस संबंध मे आवेदकगण का निवेदन है कि सूचना पत्र तब देना आवश्यक होता है जब प्रकरण में कोई सारवान परिवर्तन हो और ऐसे सारवान परिवर्तन से एकपक्षीय रूप से रहे, पक्षकार के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, परंतु आवेदकगण द्वारा संशोधन मात्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वे अनावेदक एवं अन्य पक्षकार श्रावण के विरूद्ध प्रकरण चलाना नहीं चाहते हैं। अनावेदक द्वारा अपने तर्कों से यह कहीं सिद्ध नहीं किया कि उक्त संशोधनके सूचना पत्र के अभाव से उसे सारवान क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में द्वितीय अपीलीय न्यायालय को इस विधिक बिन्दु पर केन्द्रित होते हुए निर्णय को पारित किया जाना चाहिए था कि एकपक्षीय रहने के दौरान अनावेदक को ऐसी कौन सी सारवान क्षति हुई। इस तथ्य को अपने आदेश में कहीं भी यह उल्लेखित नहीं किया कि संशोधन से अनावेदक को हानि हुई है एवं उसकी संपत्ति में सारवान परिवर्तन हुआ है। ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होकर उस अपूष्ट आदेश में प्रथम अपीलीय न्यायालय की पुष्टि करने में गंभीर वैधानिक भूल की है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवही की गई है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि राजेन्द्र पिता गरबड राउत को वारिसान होने के नाते अपील का अधिकार था। स्थल निरीक्षण में रूढ़िगत रास्ता नहीं पाया गया था, उसके बाद भी आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि में संशोधन कर दूसरा रास्ता मांगा गया, जो तहसीलदार द्वारा दिया गया, जो कि विधिसंगत आदेश न होकर त्रुटिपूर्ण था। इससे स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त करने में कोई वैधानिक भूल नहीं की गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2017 तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर